



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1628/2026

रामजी मिश्रा .

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: धीरज सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताश्री धीरज सिंह और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता, जो कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, अब सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सर्वप्रथम चतुर्थ प्रत्यर्थी, कमांडेंट अधिकारी, दूसरी बटालियन, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, गोरखपुर द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता चतुर्थ प्रत्यर्थी के समक्ष, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है; और चतुर्थ प्रत्यर्थी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार कड़ाई से निर्णय लेने की कार्यवाही करेगा। यदि चौथे प्रत्यर्थी की यह राय बनती है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तो वह संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

7. यह स्पष्ट करना अनावश्यक है कि इस रिट याचिका पर प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। अतः, इस आदेश को इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

17 फ़रवरी 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”